रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1368] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 2014/आषाढ़ 7, 1936
No. 1368] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 2014/ASHADHA 7, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2014

का.आ. 1637(अ).—यतः मै. रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड, जो हरियाणा राज्य में एक निजी संगठन है, ने हरियाणा राज्य में ग्राम मोहम्मदपुर झारसा, नरसिंहपुर, गरौली खूर्द और हरसरू जिला गुडगांव में बहु–सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 14 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1941(अ) में 439.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित था;

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 20 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1965(अ) के द्वारा 1.054 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित किया था जिसके बाद उक्त विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्र 440.714 हेक्टेयर बनता है;

और यतः, मै. रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड जो हरियाणा ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन की 440.714 हेक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और हरियाणा सरकार ने उनके दिनांक 26.02.2014 के पत्र संख्या एसईजेड/रिलायंस हरियाणा/जीजीएन/2224–ए के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 440.714 हेक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अब, इस प्रकार विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निरसन से पूर्व किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर उपर्युक्त अधिसूचना को निरस्त करती है।

[फा. सं. एफ. 2/60/2006–एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2014

S.O. 1637(E).—Whereas M/s. Reliance Haryana SEZ Limited, a Private Organisation in the State of Haryana, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Multi Services at Villages Mohammadpur Jharsa, Narsighpur, Garouli Khurd and Harsaru, District Gurgaon in the State of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 439.66 hectares at above Special Economic Zone *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1941(E), dated 14th November, 2007;

And, whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an additional area of 1.054 hectares thereby making the total area in the above Special Economic Zone as 440.714 hectares *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1965(E), dated 20th November, 2007;

And, whereas, M/s. Reliance Haryana SEZ Limited has now proposed to de-notify the entire area of 440.714 hectares of the above Special Economic Zone and the State Government of Haryana has given its "No Objection" to the proposal *vide* letter No. SEZ/Reliance Haryana/GGN/2224-A, dated 26.02.2014;

And, whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 440.714 hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rule, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/60/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.